जीएसटी

जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस तंत्र

हमारा अनुसरण करें

@CBEC_India
@askGST_GoI

cbecindia

सत्यमेव जयते

जीएसटी

माल और सेवा कर

जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस तंत्र

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in

जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस तंत्र

स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) में टीडीएस से समानता भी है और उसकी कुछ विशिष्टताएं भी हैं। टीडीएस का आशय उस कर से है जिसकी कटौती वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्राप्तकर्ता संविदा आदि के अंतर्गत कुछ भुगतान करता है जबकि टीसीएस का आशय उस कर से होता है जिसका संग्रहण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा तब किया जाता है तब कोई आपूर्तिकर्ता वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति अपने पोर्टल से करता है और उस आपूर्ति के लिए भुगतान का संग्रहण के वास्तविक स्वरूप को एक उदाहरण द्वारा समझें। भारत में कई ई-वाणिज्य प्रचालक (जिन्हें एतद्पश्चात प्रचालक कहा जाएगा) है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जबोंग आदि। ये प्रचालक अपने पोर्टल पर उत्पादों तथा सेवाओं की सूची प्रदर्शित करते हैं जिनकी वास्तविक आपूर्ति उपभोक्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। इन प्रचालकों के पोर्टल पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं की वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है और उपभोक्तागण इन पोर्टलों के जरिए उन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करते हैं। किसी विशिष्ट उत्पाद/सेवा के लिए आर्डर देने पर वास्तविक आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को चुनिंदा उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति करता है। उपभोक्ता से उन उत्पादों/सेवाओं की कीमत/मूल्य का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाता है और प्रचालक द्वारा अपनी कमीशन काट कर वह राशि वास्तविक आपूर्तिकर्ता को भेज दी जाती है। सरकार ने इन प्रचालकों को आपूर्तिकर्ता से 1% की दर पर ''कर'' संग्रह करने का उत्तरदायित्व दिया है। यह कार्य प्रचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ता को उस उत्पाद/सेवा की कीमत का भुगतान 1% दर से कर काट कर किया जाएगा। उस राशि का परिकलन प्रचालक के पोर्टल के जरिए आपूर्ति की गई वस्तुओं/सेवाओं के निवल मूल्य पर किया जाएगा।

मान लो कोई बिक्रेता एक प्रचालक के जरिए एक उत्पाद की बिक्री 1000/- रुपए में बेचता है। प्रचालक 1000/- रुपए के निवल मूल्य पर 1% की दर से अर्थात 10/- रुपए की कर कटौती करेगा।

आइए, अब देखें कि टीसीएस के सांविधिक प्रावधान क्या हैं।

पंजीकरण

ई-वाणिज्य प्रचालक तथा उस प्रचालक के जरिए वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता को जीएसटी के अंतर्गत अनिवार्यत: पंजीकृत कराना होता है। 20 लाख रुपए की (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए) की अधिकतम सीमा उन पर लागू नहीं होती है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24 (x) में अधिदेशित है कि प्रत्येक ई-वाणिज्य प्रचालक को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसी तरह, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 24 (ix) में यह अधिदेशित है कि किसी प्रचालक के जरिए वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य है।

कर संग्रह करने का अधिकार

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 में प्रावधान है कि ई-वाणिज्य प्रचालक उसके जरिए अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कर-योग्य उन आपूर्तियों पर कर संग्रह करेगा जिन आपूर्तियों के मूल्य का संग्रहण उसके द्वारा किया गया है।

टीसीएस विवरण

प्रचालक द्वारा इस संग्रहित की गई कर राशि को, जिस माह का संग्रहण किया गया है उसके अगले माह की 10 तारीख तक जमा किया जाना आवश्यक होता है। प्रचालक को आने वाले माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-8 प्रपत्र में मासिक वितरण भी प्रस्तुत करना होता है। प्रचालक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी दिसम्बर माह की 31 तारीख तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। प्रचालक प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों का परिशोधन, यदि कोई प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात सितम्बर माह के लिए दायर की गई रिटर्न तक कर सकता है।

प्रचालक द्वारा जीएसटीआर-8 में प्रस्तुत विवरण जीएसटीआर-8 प्रपत्र प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात एक कॉमन पोर्टल जीएसटीआर-2क प्रपत्र के भाग-ग में सभी आपूर्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

संग्रहित कर का क्रेडिट

प्रचालक द्वारा संग्रहित कर को प्रचालक के जरिए जिस आपूर्तिकर्ता ने वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की है उस आपूर्तिकर्ता के रोकड़ खाता बही में क्रेडिट किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता रिटर्न में प्रचालक द्वारा संग्रहित एवं प्रदर्शित कर के क्रेडिट का दावा अपनी (आपूर्तिकर्ता) इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही में कर सकता है।

आपूर्तियों के विवरण की मैचिंग

प्रचालक द्वारा अपने विवरणों में प्रस्तुत आपूर्तियों, आपूर्तियों के मूल्य सहित, का विस्तृत ब्यौरे की तुलना ऐसे सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपनी रिटर्नों में प्रस्तुत ब्यौरे से ही जाएगी। यदि आपूर्तियों के मूल्य में किसी तरह की विसंगति है तो उसकी सूचना उन दोनों को संप्रेषित की जाएगी। यदि मूल्य में इस विसंगति का परिशोधन एक निश्चित समय में नहीं किया जाता है तो उस राशि को उस आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में जोड़ दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को आउटपुट कर की इस विभेदक राशि का ब्याज सहित भुगतान करना ही होगा।

प्रचालक को नोटिस

कोई अधिकारी, जिसका रैंक आयुक्त के स्तर से कम नहीं होगा, प्रचालक को एक नोटिस जारी करके आपूर्ति की गई वस्तुओं/सेवाओं की मात्रा, भांडागार/गोदाम में पड़ी वस्तुओं के भंडार के संबंध में विवरण देने को कह सकता है। प्रचालक को यह विवरण 15 कार्यदिवसों के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि कोई प्रचालक जानकारी देने में अक्षम रहता है तो उस पर धारा 122 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा 25000/- रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।